प्रेस नोट दिनांक 10.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: थाना लालगंज क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा, गैंग के 02 और सदस्य गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही: चोरी के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी के माल को बेचकर प्राप्त धनराशि से खरीदे गए 02 अदद iPhone-13 मोबाइल फोन बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी निवासी ग्राम छेमी (पोस्ट– पूरेनोती), थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना लालगंज में तहरीर पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 12.04.2026 को वह अपने उपचार हेतु प्रयागराज गई हुई थीं तथा उनके घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जिसके कारण मकान में ताला बंद था। दिनांक 15.04.2026 को सुबह उनकी जेठानी द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है। सूचना प्राप्त होने पर जब वादिनी घर पहुंचीं तो देखा कि मकान के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था तथा घर के अंदर रखी आलमारी एवं बक्से के ताले भी तोड़े गए थे। अज्ञात चोरों द्वारा घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण, कुछ घरेलू बर्तन एवं एक टेलीविजन चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 122/2026 धारा 305 बी.एन.एस. का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता के कब्जे से चोरी के 01 अदद इंडक्शन चूल्हा (चोरी की), 01 अदद आई फोन (चोरी के पैसों से खरीदा गया), 01 अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट की (चोरी की पैसों से खरीदी गयी) व 10.13 ग्राम पीली धातु (सोने की ज्वैलरी चोरी की जो गलाया गया), 1100 रुपये (चोरी की पैसों से खरीदी गयी) बरामद की गई थी। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 61(2)ए, 331(4), 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई थी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 आलोक यादव, का0 संजय कुमार, रि0का0 अभिनव सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 122/2026 धारा 305, 61(2)ए, 331(4), 317(2) बी.एन.एस. से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. कुनाल त्रिपाठी पुत्र रवि शंकर त्रिपाठी निवासी ग्राम गोरखापुर नरियावां राजापुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 18 वर्ष, 2. प्रिंस तिवारी पुत्र श्री हीरामणि तिवारी निवासी ग्राम गोरखापुर नरियावां राजापुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 18 वर्ष को चोरी के माल को बेचकर प्राप्त धनराशि से खरीदे गए 02 अदद iPhone-13 मोबाइल फोन के साथ थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत भेभौरा शिवदीन का पुरवा तालाब के पास मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि यह आई फोन दिनांक 14/15.04.2026 की रात पूरे छेमी में हम लोगों के द्वारा की गयी चोरी के गहने को बेचने पर प्राप्त हिस्सा 35-35 हजार का खरीदा हुआ यह दोनो आई फोन 13 है। हम लोग अपने मित्र सौरभ मिश्रा पुत्र रवीन्द्र कुमार मिश्रा निवासी ग्राम धून्धा का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ और उसकी गर्लफ्रेंड अंशिका मिश्रा के साथ अंशिका मिश्रा अपने चाचा के घर पूरे छेमी में चोरी की योजना बनायी थी, उसी योजना के अनुसार सौरभ मिश्रा अपने अन्य साथी शुभम मिश्रा, शिवम तिवारी और अमरजीत प्रजापति और हम लोगों के साथ दिनांक 14/15.04.2026 की रात्रि प्रयागराज से गाड़ी करके अंशिका उर्फ खुशी के चाचा पूरे छेमी थाना क्षेत्र लालगंज के घर गये। अंशिका मिश्रा ने फोन करके चोरी की सारी योजना के बारे में बतायी उसी योजना के अनुसार हम लोग उस घर के पीछे की तरफ गये अंशिका मिश्रा भी वहां पर आ गयी और हम लोगो ने पीछे के दरवाजा का ताला तोड़ा और हम लोग घर के अन्दर घुस गये। सौरभ मिश्रा की गर्लफ्रेंड अशिका मिश्रा को सारी जानकारी थी कि गहना कहा रखा है और सारा सामान कहां रखा है, वही सारा जगह दिखायी और हम लोग आलमारी का लाकअप तोड़कर उसमें रखे सोना-चांदी का गहना चुरा लिये और किचन में रखे इंडक्शन चूल्हा और आगे के कमरे में रखे स्मार्ट टीवी को भी चुरा लिया। सारा चोरी का सामान और गहना हम लोग अपने साथ लेकर रात में ही प्रयागराज चले गये।

सौरभ मिश्रा चोरी में मिले गहने को अपने साथी जो सुनार का काम करता है, से गलवाकर उसको कही बेच दिये प्राप्त पैसे सौरभ मिश्रा हम लोगो को 35-35 हजार रुपया दिये और सौरभ मिश्रा अपना एक लाख बीस हजार रुपये रख लिये थे। हम दोनो लोगों के हिस्से में जो 35-35 हजार रुपया मिला था, उसी पैसे से हम दोनो ने यह आई फोन 13 खरीद लिया था। साहब आज हम लोग रायबरेली जाने के लिये वर्मा नगर चौराहे पर बस पकड़ने के लिये आ रहे थे कि आप लोगो ने हम लोगों को पकड़ लिया। जब हम लोगों को पता चला कि सौरभ मिश्रा और उसके कुछ और साथी इसी चोरी में जेल चले गये थे, तो उसी डर के कारण हम लोग आज रायबरेली जाने के लिये बस पकड़ने के लिये वर्मा नगर तिराहे पर आ रहे थे और यहां तालाब के पास खड़े होकर कुछ बात चीत कर रहे थे कि आप लोगों ने हम दोनो को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. कुनाल त्रिपाठी पुत्र रवि शंकर त्रिपाठी निवासी ग्राम गोरखापुर नरियावां राजापुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 18 वर्ष।
02. प्रिंस तिवारी पुत्र श्री हीरामणि तिवारी निवासी ग्राम गोरखापुर नरियावां राजापुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 18 वर्ष।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-
01. शौरभ मिश्रा पुत्र रविन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम धोनू का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।
02. शुभम मिश्रा पुत्र बृजेश कुमार निवासी ग्राम मधुपुर मुगरा बादशाहपुर थाना मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 18 वर्ष।

03. अमरजीत प्रजापति पुत्र कामता प्रसाद निवासी ग्राम लोही थाना चरवा जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 21 वर्ष।
04. आशीष केसरवानी पुत्र चन्द्रशेखर केसरवानी निवासी 303/01 नयापुरवा करेली थाना करेली जनपद प्रयागराज उम्र करीब 35 वर्ष।
05. खुशी उर्फ अंशिका मिश्रा पुत्री राजनारायण मिश्रा निवासी पूरे छेमी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष।
06. शिवम तिवारी पुत्र रवि तिवारी दून्दा का पुरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी- चोरी के माल को बेचकर प्राप्त धनराशि से खरीदे गए 02 अदद iPhone-13 मोबाइल फोन बरामद।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 आलोक यादव, का0 संजय कुमार, रि0का0 अभिनव सिंह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

गैंगस्टर एक्ट के तहत सक्रिय गैंग लीडर 'मस्सन' व सदस्य 'अलीम उर्फ मोनू' की 14.30 लाख रुपये की अवैध चल संपत्ति कुर्क

जनपद प्रतापगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी है।

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-657/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से संबंधित गैंग लीडर मस्सन पुत्र लतीफ निवासी ग्राम आममऊ ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ व अलीम उर्फ मोनू पुत्र लतीफ निवासी आम मऊ ककरहा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की गई।

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-657/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत, मा0 जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ श्री अभिषेक पाण्डेय द्वारा पारित आदेश के क्रम में बड़ी कुर्की की कार्यवाही की गई है।

कुर्क की गई अवैध चल संपत्ति (धारा 14-1 गैंगस्टर एक्ट):
अभियुक्त अलीम उर्फ मोनू:
01. स्कार्पियो गाड़ी (UP 72 BS 2583) - मूल्य ₹12,00,000/-
02. यामाहा R15 मोटरसाइकिल(UP 72 BX 2583) - मूल्य ₹1,00,000/-

अभियुक्त मस्सन (गैंग लीडर):
01. रॉयल एनफील्ड 350 (UP 72 AL 4333) - मूल्य ₹1,30,000/-

कुल कुर्की: ₹14,30,000/-

उक्त आदेश के अनुपालन में थानाध्यक्ष कोतवाली देहात उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह मय हमराह का0 हरदीप कुमार, रि0का0 सूरज कुमार यादव के मय वाहन सरकारी के चालक का0 विशाल कुमार द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन को धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

यह कार्यवाही थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-657/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है। अभियुक्तों द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन से संपत्तियां अर्जित की गई थीं, जिनके विरुद्ध विधिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास-

01. मस्सन (गैंग लीडर): अभियुक्त एक शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध हत्या के प्रयास, लूट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, आर्म्स एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 12 गंभीर आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

02. अलीम उर्फ मोनू (गैंग सदस्य): अभियुक्त के विरुद्ध हत्या के प्रयास, मारपीट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 12 गंभीर आपराधिक अभियोग जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं।

01- अभियुक्त मस्सन पुत्र लतीफ निवासी ग्राम आममऊ ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-93/2007 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि, थाना अन्तू, प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0-138/2009 धारा 463, 506 भादवि, थाना अन्तू, प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0-316/2013 धारा 147, 148, 149, 307, 452, 394, 323, 427, 506 भादवि, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0-316ए/2013 धारा 147, 148, 149, 341, 352, 427, 504, 506 भादवि, 7 सीएलए एक्ट एवं 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0-187/2014 धारा 147, 323, 504, 452, 354, 427 भादवि, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0-307/2018 धारा 147, 149, 341, 353 भादवि, 7 सीएलए एक्ट एवं 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना अन्तू, प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0-783/2018 धारा 147, 149, 307, 336, 341, 353 भादवि, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
08. मु0अ0सं0-246/2024 धारा 323, 341, 427, 504, 506 भादवि, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
09. मु0अ0सं0-269/2025 धारा 3(5), 351(2), 352, 109(1), 110 बीएनएस, 7 सीएलए एक्ट एवं 30 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0-270/2025 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0-347/2025 धारा 11, 12, 13(1)(D), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0-657/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।

02- अभियुक्त अलीम उर्फ मोनू पुत्र लतीफ निवासी आम मऊ ककरहा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-187/2014, धारा–147, 323, 504, 452, 354, 427 भा0द0वि0, थाना– अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0-256/2024, धारा–323, 504, 506 भा0द0वि0, थाना– कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0-269/2025, धारा–3(5), 351(2), 352, 109(1), 110 बीएनएस तथा 7 सीएलए एक्ट, थाना– कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0-347/2025, धारा–11, 12, 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना– कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

05. मु0अ0सं0-657/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम–1986 के अंतर्गत, थाना– कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

नोट- प्रशासन व पुलिस की प्रतिबद्धता:
प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध, गैंगस्टर गतिविधियों तथा अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही लगातार की जा रही है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने हेतु ऐसे अपराधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है।

चेतावनी: कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा अपराध से अर्जित सम्पत्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। प्रतापगढ़ पुलिस जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त शिवम उपाध्याय को कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, चोरी किए गए जेवरात बरामद-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त को क्षेत्रान्तर्गत चमरौधा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, पूर्व में 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में चौकी चिलबिला पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए गए हैं।

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 280/2026 धारा 305 बीएनएस की विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी चिलबिला उ0नि0 लक्ष्मीकांत सिंह सेंगर मय पुलिस टीम द्वारा चमरौधा पुल के पास से अभियुक्त शिवम उपाध्याय पुत्र स्व0 शैलेश उपाध्याय निवासी ग्राम औरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ को

गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए गए। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्ता को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मकान मालकिन के घर की आलमारी का लॉकर तोड़कर उक्त जेवरात चोरी किए थे। वादिनी द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त की पहचान अपने किरायेदार के रूप में तथा बरामद जेवरात की शिनाख्त अपने चोरी हुए सामान के रूप में की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.शिवम उपाध्याय पुत्र स्व० शैलेश उपाध्यय निवासी ग्राम औरा थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-
01. एक जोड़ी पायल (सफेद धातु)
02. एक जोड़ी कान की बाली (पीली धातु)
03. दो सोने की अंगूठी (पीली धातु)
04. एक चैन (पीली धातु)
05. एक मंगलसूत्र (पीली धातु)
06. एक जोड़ी सुई-धागा (पीली धातु)
07. एक नाक की कील (पीली धातु)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 लक्ष्मीकांत सिंह सेंगर चौकी प्रभारी चिलबिला मय हमराह का0 जितेन्द्र सिंह व रि०आ० कौशल यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट एवं अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह का0 नारायण निषाद द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2),87,64(1),115(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 बाल अपचारी को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत शेखूपुर नहर पुलिया के पास से हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बाल अपचारी का विवरण- 01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह का0 नारायण निषाद थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी, घटना में प्रयुक्त बांस की लाठी बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त राजकुमार बिन्द को क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त राजकुमार बिन्द उपरोक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया, घटना में प्रयुक्त 01 बांस की लाठी बरामद-

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम रामपुर नौडेरा, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 02.06.2026 को समय लगभग 04:00 बजे वादी की माता के साथ विपक्षी राजकुमार पुत्र जमुना प्रसाद द्वारा घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डा व घूंसों से मारपीट की गई, जिससे बीच-बचाव करने आए 01 व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ रेफर किया गया, वहीं घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरा भेजा था । इस संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0- 135/2025 धारा 115(2)/352/351(3)109(1)/333 B.N.S बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 सुशील पटेल, का0 दीपक राजभर द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 135/2025 धारा 115(2)/352/351(3)109(1)/333 B.N.S थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त राजकुमार बिन्द पुत्र स्व जमुना प्रसाद निवासी ग्राम रामपुर नौडेरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष को घटना मे प्रयुक्त 01 अदद बांस की लाठी के साथ थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त राजकुमार बिन्द उपरोक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- राजकुमार बिन्द पुत्र स्व जमुना प्रसाद निवासी ग्राम रामपुर नौडेरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 सुशील पटेल, का0 दीपक राजभर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।